

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0- 94/801- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शों में दर्शाए गए गांव बासकुसला, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव बासकुसला, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 412/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

**उत्तर:** बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात् गांव बास हरिया (अलीयार) गांव मंगरौला और गांव बासकुसला की गांव सीमाओं का तृजंक्शन उसके बाद गांव बास कुसला और कासन की उत्तरी सीमा के साथ-2 दक्षिण पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जहां यह गांव कासन की आयत संख्या 1 की उत्तरी सीमा के साथ मिलती है।

**पूर्वी :** उसके बाद गांव कासन की आयत संख्या 1,7,18,27,48,56,84 और 89 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर उसके बाद जो गांव कासन की आयत संख्या 89 का दक्षिण-पूर्वी कोना है।

**दक्षिण :** उसके बाद आयत संख्या 89 की दक्षिण सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर , उसके बाद आयत संख्या 111 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर, उसके बाद आयत संख्या 111 दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिमी की ओर उसके बाद आयत संख्या 119 की पूर्वी सीमा के साथ-2, दक्षिण की ओर, उसके बाद गांव कास की आयत संख्या 119, 120, 109, 108, 93, 94 और 79 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर, उसके बाद गांव बासकुसला की आयत संख्या 47 और 50 की दक्षिण-पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर बिन्दु 'ध' तक जहां यह गांव थाना की पूर्वी सीमा के साथ मिलती है।

**पश्चिम:** उसके बाद गांव बासकुसला की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर बिन्दु "क" तक जो आरम्भिक बिन्दु है।

प्रदीप कुमार,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

162

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)**

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT  
Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/801- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Baskusla of tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

**SCHEDULE**

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Baskusla, tehsil and district Gurgaon to be read with Drg No. DTP(G) 412/93, dated 25th May, 1993.

**North:** Starting from point 'A' i.e. the trijunction of village boundaries of village Bas Haria (Aliya), village Bhangraula and village Baskusla, thence towards south east along the northern boundary of village Baskusla and Kasan upto the point 'B' where it meets with the northern boundary of Rect. No. 1 of village Kasan.

**East:** Thence, towards south along the eastern boundary of Rect. No.1, 7, 18, 27, 48, 56, 84 and 89 of village Kasan upto point 'C' which is the south-east corner of Rect. 89 of village Kasan.

**South:** Thence, towards west along the southern boundary of Rect. No. 89, thence towards south along western boundary of Rect. No. 111, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 111, thence towards south along eastern boundary of Rect. No. 119, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 119, 120, 109, 108, 93, 94 and 79 of Village Kasan, thence towards west along western boundary of Rect. No.51 and 46 of village Baskusla, thence towards south along south-eastern boundary of rectangle no.47 and 50 of Village Baskusla upto point 'D' where it meets with the eastern boundary of Village Dhana.

**West:** Thence, towards north along the western boundary of village Baskusla upto point 'A' i.e. the point of start.

**PRADEEP KUMAR**  
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Town and Country Planning Department.